न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—97/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/316)

1. कमला देवी पुत्री गंगाराम, जाति गुर्जर, निवासी गाडण्डी, तहसील बसवा जिला दौसा।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मीरा देवी पत्नि सुरेश गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम गाउण्डी, तहसील बसवा जिला दौसा।
2. तहसीलदार बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री प्रदीप कुमार विजय एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री नन्दसिंह राजावत एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.01.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट प्रभावित काबिज व अन्य पडौसी खतोदारान को पक्षकार बनाये बिना फर्जी तरीके से की गई तरमीम के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खिलाफ निहायती झूँठे तथ्यों के आधार पर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुइ के यहॉ पेश किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रभावित काबिज व्यक्तियों को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2022 पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि यदि अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाता तो अपीलान्ट अपना जवाब देते तथा आवंटन के बाद तरमीम करते वक्त की गई गडबड़ी को सिद्ध करते तथा प्रार्थनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे को पेश करते किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना सरसरी तौर पर मात्र जमाबंदी को देखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि कानूनन जब किसी भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद विचाराधीन हो तथा अधिकार तय होनें बाकी हो तो मिसलिनियस कार्यवाही नही करनी चाहिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कया है। उन्होने यह भी कथन किया है कि सेटलमेन्ट विभाग ने अपीलान्ट की कब्जे काश्त की भूमि के नये नम्बर 334 रकबा 1.26 हैक्टयर कायम करके सिवायचक घोषित कर दिया तथा खसरा

P.T.O.

नम्बर 340 प्रार्थीया के पिता की खातेदारी में अंकन कर दिया जबकि प्रार्थीया के पिता का आवंटन की दिनांक से आज तक लगातार खसरा नम्बर 334 पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीया के पिता व प्रार्थीया ने उक्त भूमि को लाखों रूपये लगातार समतल करवाने व उपजाऊ बनाने पर खर्चा किया है किन्तु खसरा नम्बर 334 का राजसिंह ने उसका कब्जा हुए बिना ही मिलीभगत करके और आवंटन करवा लिया तथा आवंटन करवाने के बाद बिना कब्जा संभलाये, फर्जी विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम तस्दीक करवा दिया जिनके सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा दावा पेश कर रखा होने की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रभावित व्यक्तियों व पड़ौसी खातेदारान को सुनवाई व सबतू का अवसर दिलवाये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2022 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये पारित करवाया गया है। इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम दिनांक 04.11.2022 को पटवारी हल्का ने प्रार्थनी से कहा कि तुम तुम्हारे कब्जे की भूमि खाली करों उसमें हम पत्थरगढ़ी करेंगे। हमारे पास पत्थरगढ़ी का आदेश तहसीलदार से प्राप्त हुआ है। इसलिये हम पत्थरगढ़ी करेंगे तो अपीलान्ट ने उक्त लोगों से कहा कि हमें तो कोई सूचना ही नही है हमें सुनवाई किये बिना पत्थरगढ़ी का आदेश कैसे हो गया तो उक्त लोगों ने कहा कि यह तो आप उप जिला कलक्टर बांदीकुई में जाकर तलाश करों आदेश कैसे हुआ हमें तो जरिये पुलिस इमदाद से पत्थरगढ़ी करने का आदेश प्राप्त हुआ है। पहले भी टीम गठित कर दी गई थी किन्तु सरपंच ने विवाद की स्थिति को देखते हुय समय देने को कहा था इसलिये समय दिया। अब हम अतिशीघ्र टीम गठित करेंगे तो अपीलान्ट ने उक्त लोगों को बड़ी मुश्किल समझा बुझाकर भेजा और दिनांक 04.11.2022 को बांदीकुई उप जिला कलक्टर न्यायालय में जाकर उक्त आदेश को तलाश किया तो मालूम पड़ा कि अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही मात्र राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाकर और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 24.048.2022 को उक्त भूमि खसरा नम्बर 334 की पत्थरगढ़ी का आदेश करवा लिया है और उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार को आदेश जारी करवा रखा है। जब अपीलान्ट ने निर्णय की नकल ली तो सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी। तत्पश्चात् अधिवक्ता नियुक्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है। वैसे भी अपीलााधीन निर्णय अवैध, अमान्य व प्रभावशून्य निर्णय है जिसकी अपील करने की कोई मियाद भी नही होती है किन्तु फिर भी अपीलान्ट ने जानकारी होते ही जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की गई और अपीलार्थी की और से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ पेश किया गया है जो स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील के समस्त तथ्यों के मद्दनजर अपील स्वीकार

फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2022 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम गाडण्डी तहसील बसवा जिसके खाता संख्या नया 84 पुराना 52 के खसरा नम्बर 334 रकबा 1.80 हैक्टयर स्थित है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा फसल बोते व काटते समय पडौसी खातेदार सीमाओं को लेकर झगड़ा करने पर आमादा हो जाते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनन अधिकार नही है क्योंकि पत्थरगढ़ी की कार्यवाही से किसी भी काश्तकार के अधिकार समाप्त नही होते है। उन्होने आगे कथन किया है कि यदि अपीलान्ट को गलत खसरा नम्बर आवंटन हुआ है तो इसके लिये उन्हे आवंटन को समक्ष न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये। भूमि आराजी खसरा नम्बर 334 का चार–पांच बार विक्रय हो चुका है तथा अपीलान्ट द्वारा किसी भी विक्रय पत्र को अभी तक चुनौती नही दी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी आराजी व फसल की सुरक्षा के लिये आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 30.12.2021 के अनुसार न्यायहित में पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक हुआ जिसके लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि सीमाज्ञान व पत्थरगढी दोनों प्रक्रिया अलग–अलग है तथा सीमाज्ञान के पश्चात् ही पत्थरगढी की कार्यवाही की जा सकती है जबकि अपीलाधीन आदेश के माध्यम से सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये गये है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 118/2022 उनवान कमला बनाम राजसिंह में दिनांक 23.05.2022 को आराजी खसरा नम्बर 334 रकबा 1.26 हैक्टयर के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु आदेश जारी किये गये है जो दिनांक 30.09.2022 को वेकेट किया गया है जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2022 को जारी किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय

P.T.O.

द्वारा अपीलाधीन आदेश स्थगन आदेश प्रभावी रहने के दौरान जारी किया गया। चूँकि अपीलार्थीया को रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नही किया गया है जिससे प्रकरण के वास्तविक तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही आ पाये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।